संख्या-98 /2025//001-819-23-12-2025-1901852

प्रेषक

रिपुन्जय गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 04 जुलाई, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में रोड सेफ्टी योजनान्तार्गत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 15 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-14970/CE-HQ1/RS/VNS/2025-26 दिनांक 25-06-2025, पत्र संख्या-14971/CE-HQ1/RS/BAR/2025-26 दिनांक 25-06-2025, पत्र संख्या- 14972/CE-HQ1/RS/MRT/2025-26 Dt- 25-06-2025 तथा पत्र संख्या-15014/CE-HQ1/RS/LKO/2025-26 दिनांक 27-06-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रोड सेफ्टी योजनान्तार्गत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य हेतु अधोलिखित तालिका में अंकित 15 चालू कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 160.97 लाख (रूपये एक करोड़ साठ लाख सत्तानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	मुख्यालय का पत्रांक एवं दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम /मार्ग का कोड	मूल स्वीकृति का शासनादेश व दिनांक	स्वीकृत मूल लागत/ प्रावैधिक स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	बचत समायोजन के पश्चात अवशेष	क्षेत्र से प्रस्तावित मांग/मुख्यालय द्वारा संस्तुत मांग	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	14970/CE-HQ1/RS/VNS/2025-26 Dt- 25-06-2025	नि.ख. चंदौली	चन्दौली चकिया मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर स्थित तियरा ब्लैक स्पॉट के पास किमी0-18 में सड़क सुरक्षा का कार्य 207613	39/2025/001-1331-23-12-2024-23-12002-001-6-2024 - दिनांक-07-02-2025	165.36	82.68	82.32	74.07/ 57.62	**32.82**
2	14971/CE-HQ1/RS/BAR/2025-26 Dt- 25-06-2025	नि.ख.-2 बदायूं	जनपद बदायूँ में नि0खं0-2 के अन्तर्गत बदायूँ बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग) पर पड़नेवाले 04 टी-जंक्शन (चै0 6.050 से 6.150, 9.250 से 9.350 16.180 से 16.260, 19.250 से 19.350,) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 208550	48/2025/001-65-23-12-2025-23-12099-099-7-2025-दिनांक-06-03-2025	11.41	0.01	10.74	5.00/ 5.00	**5.00**
3		नि.ख.-2 बदायूं	जनपद बदायूँ में नि0खं0-2 के अन्तर्गत मुरादाबाद फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग) परपड़ने वाले 08 टी-जंक्शन (चै0 78.300 से 78.400, 81.900 से 81.950, 82.50 से 82.550, 84.400 से 84.450, 86.750 से 86.850, 90.650 से		22.79	0.01	22.13	10.00/ 10.00	**10.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			90.7500, 94.750 से 94.800, 97.740 से 97.780) पर सड़कसुरक्षा का कार्य। 208551						
4		नि.ख.-2 बदायूं	जनपद बदायूँ में नि0खं0-2 के अन्तर्गत दातागंज तिराहे से कचहरी लालपुल मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 01 टी-जंक्शन (चै0 3.400 से 3.500) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 208555		4.87	0.01	4.75	3.00/ 3.00	**3.00**
5		नि.ख.-2 बदायूं	जनपद बदायूँ में निर्माण खण्ड-2 के अन्तर्गत वर्ष 2024 में चयनित (पटेल चौक, आवॅला चौराहा, दातागंज तिराहा, मीना ढाबा बजीरगंज, बहेड़ी मोड़) ब्लैकस्पॉटों पर सुधार कार्यों 210005	62 /2025//001-340-23-12-2025-1865682-दिनांक-27-03-2025	30.15	3.01	24.66	15.00/ 15.00	**15.00**
6		प्रा.ख. शाहजहांपुर	पुवायॉ-निगोहीतिलहर दातागंज बदायू मार्ग पर स्थित रटा पुल ब्लैक स्पॉट पर दीर्घकालिक सड़कसुरक्षा सुधार का कार्य। 208647	48/2025/001-65-23-12-2025-23-12099-099-7-2025-दिनांक-06-03-2025	16.49	0.21	16.26	15.44/ 11.31	**11.31**
7	14972/CE-HQ1/RS/MRT/2025-26 Dt- 25-06-2025	प्रा.ख. मेरठ	जनपद मेरठ में प्रा0खं0 के अन्तर्गत बहसूमा-चांदपुर-ठाकुरद्वारा-जसपुर मार्ग (राज्य मार्ग) परपड़ने वाले 1 टी-जंक्शन (चै0 0.000) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 185178	18/2025/001-1255-23-12-2024-23-12099-099-106-2024-दिनांक-17-01-2025	14.00	4.00	8.70	2.00/ 2.00	**2.00**
8		प्रा.ख. मेरठ	जनपद मेरठ में प्रा0खं0 के अन्तर्गत मवाना-किठौर-हापुड मार्ग (राज्य मार्ग) पर पड़नेवाले 03 टी-जंक्शन (चै0 5.800, 19.600, 20.800) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 185179		40.35	20.17	16.86	10.00/ 10.00	**5.75**
9		प्रा.ख. मेरठ	जनपदमेरठ में प्रा0खं0 के अन्तर्गत परतापुर-गगोल तीर्थ-चन्दसारा-फफॅण्डा होते हुयेमेरठ-बदायू मार्ग (एन0एच0-234 तक मार्ग) (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 04 टी-जंक्शन (चै0 0.530, 1.175, 1.830, 3.040) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। 185189		19.96	0.05	18.81	2.00/ 2.00	**2.00**
10	15014/CE-HQ1/RS/LKO/2025-26 Dt- 27-06-2025	नि.ख.-3 खीरी	सीतापुर - गोला - अलीगंज - बिजुआ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-135) के कि0मी0-66 से 78 तक सड़कसुरक्षा का कार्य। 208661	48/2025/001-65-23-12-2025-23-12099-099-7-2025-दिनांक-06-03-2025	35.10	0.55	27.22	25.00/ 18.99	**18.88**
11		प्रा.ख. खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में कस्ता ममरी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर रोड सेफ्टी का कार्य। 208664		48.98	0.01	42.48	40.00/ 29.73	**29.73**
12		नि.ख.-2 हरदोई	जनपद हरदोई में बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-38) के कि0मी0 13 मेंमाधौगंज चौराहा ब्लैक स्पॉट केसुधार का कार्य। 185163	17/2025/001-1369-23-12-2024-23-12099-099-121-2024-दिनांक-17-01-2025	56.28	22.29	32.33	15.00/ 15.00	**15.00**
13		प्रा.ख. लखनऊ	आई0आई0टी0 दिल्लीर के अनुशंसा के अनुसार लखनऊ-कानपुर मार्ग से हरदोई मार्ग तथा हरदोई मार्ग से सीतापुर मार्ग के कि0मी0 4 में (चैनेज 3.250 से 3.400) में स्थित पारा चौराहा ब्लैक स्पॉट सं0 यू0पी0 1470 वर्ष 2019 का	53/2023/32आ/23-11-2023/001-379ई-2023,दि0-26.02.2023-दिनांक-26-02-2023	162.45	153.76	8.09	8.09/ 8.09	8.09

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			दीर्घकालिक एवं अल्प0कालिक सुधार कार्य। 134524						
14		प्रा.ख. रायबरेली	हैदरगढ़-महराजगंज-रायबरेलीमार्ग (एस0एच0-13ए) पर स्थित हरदासपुर ब्लैक स्पाट (चिन्हित वर्ष 2023) एवंपरिगवां ब्लैक स्पाट (चिन्हित वर्ष 2022) के सुधार का कार्य। 208617	48/2025/001-65-23-12-2025-23-12099-099-7-2025-दिनांक-06-03-2025	8.52	4.26	3.53	3.46/ 3.46	**1.19**
15		प्रा.ख. रायबरेली	एन0एच0-30 परस्थित टी-जंक्शन त्रिपुला चैराहा, बछरावां बस स्टेशन, सिविल लाइन चैराहा, बछरावां बाईपास, बछरावां, कन्नावां, कुन्दनगंज, हरचन्दपुर, कठवारा, गंगागंजका सुधार कार्य 208655		8.43	4.21	3.52	3.52/ 3.52	**1.20**
								योग	**160.97**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की समस्त शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आनलाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/ 2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनु0-2 के कार्यालय ज्ञाप स0-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

7- विभागीय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

9- परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्तां (मु०-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढ़ोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली क्षेत्रीय अभियन्ताओं आदि के वेतन से की जायेगी।

10- उपरिलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

11- उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 1,60,97,000 (रूपये एक करोड़ साठ लाख सत्तानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
रिपुन्जय गुप्ता
उप सचिव

पृ0संख्या- 98 /2025//001-819(1)-23-12-2025-1901852-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सडक), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in